25-6-24 — पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 4.7.24 को पेश हो।

4.7.24 — पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं पेशकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी की पुनः बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 23-7-24 को पेश हो।

23.7.24 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेशकार सरकार तहसीलदार मालपुरा उपस्थित। पुनः प्रार्थी बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रायसिंहपुरा में खसरा नं० 1674 रकबा 0.1134 हैक्टेयर अन्य आराजीयात के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 76 में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थी के द्वारा क्रय की जो ना०सं० 1359 दि० 5/9/12 से प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2065 से 68 की जमाबन्दी में दर्ज है प्रार्थी के द्वारा भूमि जब क्रय की तब रकबा 1-14 बीघा था परन्तु मौके पर नक्शे

| | |
|---|---|
| हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |

के अनुसार [illegible] पूर्व नहीं [illegible]
[illegible]
[illegible]
ग्राम [illegible] की [illegible]
[illegible]
[illegible]
दर्ज थी [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
दर्ज है [illegible]
[illegible]
[illegible] (0.0130 हेक्टेयर) भूमि [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 0.0130 हेक्टेयर [illegible]
0.0105 हेक्टेयर [illegible]
[illegible]
किया [illegible] किया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार [illegible] से
[illegible] आख्या की
गई। तहसीलदार [illegible] के पत्रांक/संख्या
1026 दिनांक 23-01-2024 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
ग्राम [illegible] की खतौनी [illegible] 1671
रकबा 0.4510 हेक्टेयर [illegible]
[illegible]
[illegible] मुम्बई के नाम
दर्ज है। [illegible]
[illegible] 60 [illegible]

[illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| | 1674 रकबा 0.4154 हैक्टर |
| | 318 पर दर्ज आ०नं० 1674 रकबा 0.4154 हैक्टर भूमि खातेदार मुकेश कुमार पिता नारायणलाल देवपुरा सा० गुलाबपुरा त० हुरड़ा दर्ज भूमि में से N.H. 79 हेतु अवाप्ति से नामान्तरकरण सं० 3386 से रकबा 0.08 बीघा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई। जिसकी नक्शे में तरमीम करते समय सहवन से रकबा 0.08 बीघा के बजाय 0.14 बीघा की तरमीम कर दी गई। जिसके नवीन आ०नं० 1674/1 बने। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता सं० 207 पर दर्ज आ०नं० 1674 रकबा 1-14 बीघा में से 0.0150 है० भूमि अवाप्ति के नामान्तरकरण संख्या 1533 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई। नक्शे में तरमीम की गई जिसके नवीन आ०नं० 1674/2 बने। परन्तु वक्त संयोजन आ०नं० 1674/2 का रकबा 0.0145 हैक्टर गलत से दर्ज हो गई। अतः ग्राम सिंहपुरा की आ०नं० 1674 रकबा 0.4154 हैक्टर भूमि पर मौके पर 0.0759 हैक्टर की तरमीम सहवन से अधिक हो गई जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम सही किया जाकर व आ०नं० 1674 का दर्ज रकबा 0.4154 है० के बजाय 0.4150 है० व आ०नं० 1674/2 का दर्ज रकबा 0.0145 है० के बजाय 0.0150 हैक्टर शुद्ध किया जाना उचित है।<br>हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में दर्ज तथ्यों एवं तहसीलदार मांडल से प्राप्त रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से यह पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 (वर्तमान-48) के 4 लेन व 6 लेन निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का जो अवार्ड जारी हुआ उसी अनुसार नक्शे में व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हुआ जिसे दुरुस्ती हेतु यह प्रार्थना<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी |

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act के तहत प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/राजस्व/2024/1026 दिनांक 29-1-2024 के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं नामान्तकरण संख्या 1593 दिनांक 20/6/2019 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। अतएव-<br><br>**आदेश**<br><br>ग्राम रायसिंहपुरा की आ०नं० ~~115~~ 1674 रकबा 0.4154 हेक्टर किस्म बीड़ बंजड़ के बजाय 0.4150 हेक्टर किस्म बीड़ बंजड़ भूमि माहेश्वरी इन्फ्रोमेटिक प्रा०लि० सा० 9 हरेश्वर भवन 263 डा० के०बी० हेडगेवार रोड ब्रान्द्रा मुम्बई के नाम खातेदारी से दर्ज की जावे व आ०नं० 1674/2 का रकबा 0.0145 हे० किस्म गे०मु० सड़क के बजाय रकबा 0.0150 हे० किस्म गेमु सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम इन्द्राज दुरुस्त किया जावे साथ ही संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त की जावे। ट्रेस की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजावे। आदेश आज दिनांक 23/7/2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |